चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 14.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने पेंशनर्स के अनुभव एवं ज्ञान की सराहना करते हुए समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर पुलिस पेंशनर्स को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, कानूनी सहायता एवं शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित पेंशनर्स को अपनी समस्याएं, सुझाव एवं अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स एवं पुलिस विभाग के मध्य आपसी संवाद, समन्वय एवं सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, ताकि पेंशनर्स की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके अनुभवों एवं सुझावों का लाभ पुलिस विभाग एवं समाज को प्राप्त हो सके साथ ही साथ बढ़ते साइबर अपराध से सावधान रहने हेतु बताया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 वंशनारायण सिंह चौकी प्रभारी सरैया व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त पिन्टू यादव उर्फ बेंडर पुत्र स्व0 शिवमंगल यादव निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 30 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री वंशनारायण चौकी प्रभारी सरैया
2.आरक्षी रविन्द्र राठौर
3.आरक्षी रितुराज चन्द्र विकास

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार किया।
(1). उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी राम यादव,आरक्षी चालक पंकज यादव थाना राजापुर द्वारा मु0सं0 1421/2016 मु0अ0सं0 168/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अरुण सोनकर पुत्र चन्द्रपाल सोनकर उम्र 31 वर्ष निवासी गोसाईपुरवा कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(2). उ0नि0 श्री शम्भू शरण सिंह थाना मानिकपुर द्वारा मु0सं0 52/2020 मु0अ0सं0 84/2016 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रवि केवट पुत्र जौहरिया केवट निवासी गांधीनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(3). उ0नि0 श्री शम्भू शरण सिंह मय हमराह आरक्षी शरद सिंह थाना मानिकपुर द्वारा मु0सं0 383/25 मु0अ0स0 40/2025 धारा 13जी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बलराम सिंह पुत्र जयलाल सिंह निवासी जवाहर नगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पीआरवी कर्मियों की त्वरित कार्रवाई एवं तत्परता से बचाई गई एक अमूल्य जिंदगी
घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 13.09.2026 को समय 01:54 बजे ग्राम तरौहा, थाना कर्वी क्षेत्रांतर्गत कॉलर ओमप्रकाश द्वारा यू0पी0-112 पर सूचना दी गई कि उनके भाई द्वारा फांसी लगाने का प्रयास किया जा रहा है तथा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है।
सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी 7211 पर तैनात पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए तथा मात्र 06 मिनट में मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़कर व्यक्ति को बाहर निकाला गया। उस समय व्यक्ति बेहोशी की हालत में था।
पीआरवी कर्मी का0 शिवम द्वारा तत्काल सीपीआर (CPR) दिया गया, जिससे व्यक्ति की सांसें चलने लगीं।
व्यक्ति के गले में रस्सी से चोट होने के कारण उसे तत्काल एंबुलेंस एवं पीआरवी के माध्यम से उपचार हेतु जिला अस्पताल, सोनेपुर में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना थाना कर्वी पुलिस को दी गई।
पीआरवी कर्मियों की त्वरित कार्रवाई, सूझबूझ एवं तत्परता से एक अमूल्य जीवन बचाया गया, जो अत्यंत सराहनीय है।
मौके पर मौजूद लोगों द्वारा यू0पी0-112 परियोजना एवं पीआरवी कर्मियों के मानवीय कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।
चित्रकूट पुलिस जनसेवा एवं जनसुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।

(6).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव,पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फॉस्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 14.09.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2022 धारा 363,376 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त इन्द्रेश कुमार उर्फ शेरू पुत्र सर्वेश को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.08.2022 को एक वादिया थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि उपर्युक्त अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 177/2022 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री कमलेश कुमार द्वारा पीड़िता की बरामदगी व बयान के आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा 376 भादवि0 की बढ़ोतरी की गयी थी। दिनाँक 15.09.2022 को आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक 13.11.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(7)पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव,पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फॉस्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 14.09.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 88/2023 धारा 376 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त विनय सिंह पुत्र अर्जन सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.04.2023 को एक वादिया थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि उपर्युक्त अभियुक्त द्वारा वादिया को लालच देकर बुलाकर दुष्कर्म करना विरोध करने पर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देना । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 88/2023 धारा 376,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 11.06.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।